

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं०-269 / 2025
आदेश

16.03.2026

अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। विगत कई तिथियों से आवेदक अभियुक्त अमित कुमार की ओर से प्रस्तुत वाद में कोई पैरवी नहीं किया जा रहा है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने भी प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त अमित कुमार के द्वारा विगत कई तिथियों से पैरवी नहीं किए जाने के कारण इस अग्रिम जमानत आवेदन को निस्तारित करने की प्रार्थना की है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद में विगत कई तिथियों से आवेदक अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन के संदर्भ में कोई पैरवी नहीं किया जा रहा है और न ही संचालित किया जा रहा है। इस कारण आवेदक अभियुक्त अमित कुमार के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित नहीं किए जाने के कारण **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।